संख्या- 126 /2024/आर0एफ0-27/नौ-9-2024/002-ई-1779236

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद, अहरौरा, जनपद- मीरजापुर।

2. नगर पालिका परिषद, झींझक, जनपद- कानपुर देहात।

नगर विकास अनुभाग- 9 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यो/परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-415/न0पा0परि0अह0/2023-24, दिनांक-13.08.2023 एवं पत्रांक-315/एन0पी0पी0जे0/का0शो0/न0स0/2023-24, दिनांक-13.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से नगर पालिका परिषद, अहरौरा, जनपद- मीरजापुर एवं नगर पालिका परिषद, झींझक, जनपद-कानपुर देहात को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 197.89 लाख एवं रू0 161.11 लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यो हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, अहरौरा, जनपद- मीरजापुर एवं नगर पालिका परिषद, झींझक, जनपद-कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, **कुल लागत धनराशि रू0 345.89 लाख (रूपये तीन करोड़ पैंतालीस लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 172.945 लाख (रूपये एक करोड़ बहत्तर लाख चौरानबे हजार पांच सौ मात्र)** अनुदान संख्या-83, प0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
1	नगर पालिका परिषद अहरौरा, जनपद-मीरजापुर	1. नगर पालिका परिषद अहरौरा में जगन्नाथ सोनकर के मकान से बच्चा के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	39.38		
		2. नगर पालिका परिषद अहरौरा में अशर्फी सोनकर के मकान से राजेश सोनकर के मकान तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	39.25		
		3. नगर पालिका परिषद अहरौरा में सहुआईन शंकर मंदिर से डा0 विश्वनाथ जी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	39.68		
		4. नगर पालिका परिषद अहरौरा में कन्हैया केसरी के घर से कमला सिंह के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	39.75		
		5. नगर पालिका परिषद अहरौरा, पट्टी कला में राधे सोनकर के घर से मुन्ना सोनकर के घर सी0सी0 एवं नाली निर्माण कार्य।	39.83		
		योग	**197.89**	**197.89**	**98.945**
2	नगर पालिका परिषद झींझक, जनपद-कानपुर देहात	1. वार्ड नं0 02 लोहिया नगर झींझक में क्रास रोड ब्यूटीफिकेशन (अमृत चौराहा) का निर्माण कार्य।	18.43		
		2. रूरा रोड पर पुराने शमशान के पीछे केम्पस का नवीनीकरण कार्य सहित प्लास्टर पेन्टिंग, शेड, फ्लोरिंग, बेंच, मूत्रालय आदि का कार्य।	35.48		
		3. वार्ड नं0 02 टिकनगॉव झींझक में कान्हा गोशाला में भूसा शेड (12 X 18 M) एवं सी0सी0 एप्रोच रोड का निर्माण कार्य।	28.12		
		4. गाटा नं0 402 में तालाब का नवीनीकरण, वॉल पेस्टर, पेन्टिंग, पथवे, गजेबो, गार्ड रूम और अन्य निर्माण कार्य।	39.70		
		5. वार्ड नं0 02 लोहिया नगर में सिकन्दरा-झींझक रसूलाबाद में रतन पेट्रोल पम्प के पास 12 दुकानों (3mX5m) का निर्माण कार्य।	39.38		
		योग	**161.11**	**148.00**	**74.00**
	अनुदान संख्या-83	**कुल योग**	**359.00**	**345.89**	**172.945**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित आयोग की संस्तुतियों के तहत अन्तरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही सबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी सस्था का होगा।सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य का प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य

कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या- 227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनाक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनाक 19 मई, 2023 के प्रावधानो का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-

2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 मे दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 मे (मार्च 2024 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(20) आगणन मे किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/सबंधित अभियता उत्तरदायी होगे।

(21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकताये पूर्ण करा ली जाये।

(22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष मे जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,72,94,500 (रुपये एक करोड़ बहत्तर लाख चौरानवे हजार पांच सौ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक 6215027890402 नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या:-E-9-481-X-2023-24, दिनांक- 30 जनवरी, 2024** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या-126/2024/आर0एफ0-27/नौ-9-2024/002-ई-1779236, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, जनपद-मीरजापुर एवं कानपुर देहात।
3- निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
7- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9- कोषाधिकारी, जनपद-मीरजापुर एवं कानपुर देहात।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11- वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12- पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/01/2024

प्रेषण संख्या:- 126
आवंटन आदेश संख्या:- 001-126-2024-RF27-9-9-2024-002-E-1779236
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मिर्ज़ापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9894500 9894500	9894500 9894500
2	कानपुर देहात-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7400000 7400000	7400000 7400000
	योग	वर्तमान प्रगामी	17294500 17294500	17294500 17294500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ बहत्तर लाख चौरानवे हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बहत्तर लाख चौरानवे हजार पाँच सौ

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव